न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 473–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–1–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद जिला झाबुआ के प्रकरण कमांक 193/बी–121/2015–16

.....

तुलसीदास पिता मानदास बैरागी,
निवासी ग्राम धतुरिया पेटलावद जिला झाबुआ

..... आवेदक

विरूद्ध

1–सरपंच, ग्राम पंचायत धतुरिया
2–सचिव, ग्राम पंचायत धतुरिया
3–रामेश्वर पिता दरियावसिंह राजपूत
4–भगवानसिंह पिता गिरवरसिंह राजपूत
5–भारतसिंह पिता हरीराम राजपूत
6–भगवानसिंह पिता शंकरसिंह राजपूत
7–देवेन्द्रसिंह पिता राजपूत
निवासीगण धतुरिया तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ ..... अनावेदकगण

.....

श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक–आवेदक
श्री दुष्यंतसिंह, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8/9/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्रामवासियों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम धतुरिया स्थित श्रीराम मंदिर का निर्माण हुये 40–42 वर्ष हो चुके हैं और उसके जीणोद्वार आज दिनांक तक नहीं हुआ है और मंदिर की मरम्मत का जो कार्य हुआ है वह ग्रामवासियों की दान राशि से हुआ है । पुजारी द्वारा कोई राशि मंदिर पर नहीं खर्च कर जमाखोरी कर रहा है, अतः पुजारी को हटाया जाकर अन्य पुजारी रखा जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र पर तहसीलदार से प्रतिवेदन लिये जाने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 193/बी–121/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । तहसीलदार द्वारा जॉच उपरांत दिनांक 22–12–2015 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक पुजारी पद से हटाया जाकर नवीन पुजारी की नियुक्ति किये जाने संबंधी प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 30–1–2016 को प्रकरण मूल शिकायती आवेदन पत्र व तहसीलदार के प्रतिवेदन पर आदेशार्थ नियत कर पेशी दिनांक 5–2–16 नियत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण द्वारा बिना आवेदक के समक्ष दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जिसे बिना उपलब्ध कराये तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) आवेदक का बैरागी परिवार पिछले 100 वर्ष से ग्राम धतुरिया में निवास कर रहा है और मंदिर और भूमि उनके परिवार की होकर उनके परिवार द्वारा सेवा अर्चना की जा रही है, अतः संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व से ही मंदिर एवं भूमि बैरागी परिवार के पास है जिसकी पुष्टि वर्ष 1922 के खसरो से होती है । आवेदक की ओर से वर्ष 1957 लगायत वर्ष 1973–74 के खसरे प्रस्तुत किये गये हैं, जिससे भी प्रश्नाधीन मंदिर एवं भूमि आवेदक के आधिपत्य एवं स्वामित्व में है ।

(3) संहिता की धारा 158 एवं 185 के अनुसार अभिलेख में की गई प्रविष्टि को नहीं बदला जा सकता है । ग्रामवासियों को आवेदक पर पूर्ण विश्वास है और वह धार्मिक प्रवृति का है और धार्मिक आयोजन एवं अतिथियों के सम्मान आदि पर आवेदक द्वारा खर्चा वहन किया जाता रहा है । ग्राम के सरपंच एवं उप सरपंच द्वारा मंदिर की भूमि पर धर्मशाला, दुकानें अदि बनवाने का प्रयास किया गया है जिसका आवेदक द्वारा विरोध करने पर उनके द्वारा एकजुट होकर शिकायत की गई है ।

(4) मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय द्वारा जारी ज्ञापन कमांक 1657–एक(4) दिनांक 4–8–69 के अनुसार माफी भूमि के संबंध में ऐसे व्यक्ति पुजारी को ऐसे प्रकरणों में भूमि पर पुजारी का ही स्वत्व रहता है ।

(5) प्रश्नाधीन मंदिर एवं भूमि आवेदक के परिवार के आधिपत्य एवं कब्जे में है एवं उनके द्वारा ही मंदिर के स्थापना, निर्माण व जीणोद्वार एवं अन्य व्यवस्थाएं लगभग 40 वर्षो से की जा रही है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ आवेदक अधिवक्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को पद से हटाने संबंधी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है और आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से दस्तावेज की प्रतियॉ चाही गई हैं, जिन्हें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करते हुये प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित कर दिया गया है, जो कि अन्यायपूर्ण कार्यवाही है, क्योंकि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की प्रति आवेदक को प्राप्त करने का हक है तथा दस्तावेजों पेश करने व उसका कूट–परीक्षण करने का भी पक्षकार को हक है । अनुविभागीय अधिकारी को यह अवसर आवेदक को देना चाहिये था, जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण

अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध करते हुये प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर